तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे किसी व्यक्ति को चालन-अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने वाला आदेश कर सकेगा और इस उप-धारा के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(9) मोटर साइकिल चलाने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई चालन-अनुज्ञप्ति, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् गियर वाली या बिना गियर वाली किसी मोटर साइकिल के चलाने के लिए प्रभावी समझी जाएगी।

[1][(10) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ई-गाड़ी या ई-रिक्शा को चलाने के लिए चालान-अनुज्ञप्ति ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जारी की जाएगी, जो विहित की जाए ।]

**10. चालन-अनुज्ञप्ति का प्ररूप और अन्तर्वस्तु**-(1) धारा 18 के अधीन दी गई चालन-अनुज्ञप्ति के सिवाय, प्रत्येक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति और चालन-अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी जानकारी अन्तर्विष्ट होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(2) यथास्थिति, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन-अनुज्ञप्ति में यह भी अभिव्यक्त किया गया होगा कि धारक निम्नलिखित वर्गों में से एक या अधिक वर्ग का मोटर यान चलाने का हकदार है, अर्थात्--

(क) बिना गियर वाली मोटर साइकिल;

(ख) गियर वाली मोटर साइकिल;

(ग) [2][रूपांतरित यान];

(घ) हल्का मोटर यान;

[3][(ङ) परिवहन यान;]

(झ) रोड-रोलर;

(ञ) किसी विनिर्दिष्ट प्रकार का मोटर यान ।

**11. चालन-अनुज्ञप्ति में परिवर्धन**-(1) किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने की चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने के लिए चालन-अनुज्ञप्ति को धारण या अभिप्राप्त करने के लिए तत्समय निरर्हित नहीं है, उस अनुज्ञप्ति में ऐसे अन्य वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को जोड़ देने के लिए [4][राज्य में किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा], जिसमें वह निवास करता है या अपना कारबार चलाता है, ऐसे प्ररूप में और ऐसे दस्तावेजों सहित तथा ऐसी फीस के साथ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

1. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015) की धारा 4 द्वारा (दिनांक 07.01.2015 से भूतलक्षी प्रभाव से) अन्तःस्थापित; संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 19.03.2015 को प्राप्त हुई और भारत का राजपत्र(असाधारण), भाग 2, खण्ड 1, दिनांक 20.03.2015 पर प्रकाशित ।)
2. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 32 सन् 2019) की धारा 6 द्वारा शब्दों "अशक्त यात्री गाड़ी" के स्थान पर प्रतिस्थापित; भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग 2, खण्ड 1, दिनांक 09.08.2019, पृष्ठ 1-45 पर प्रकाशित।
3. अधिनियम संख्यांक 54 सन् 1994 की धारा 8 द्वारा (दिनांक 14.11.1994 से) खण्ड (ङ) से (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 32 सन् 2019) की धारा 7 (I) द्वारा शब्दों "उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है" के स्थान पर प्रतिस्थापित; भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग 2, खण्ड 1, दिनांक 09.08.2019, पृष्ठ 1-45 पर प्रकाशित।

17/2
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
परिवहन विभाग

Scanned with OKEN Scanner